

551

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 2(18)नविवि/5/2009पार्ट-VIII

जयपुर, दिनांक : 26 JUL 2017

आदेश

विभागीय आदेश समसंख्यक आदेश दिनांक 12.06.2017 के द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के अन्तर्गत विकसित योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास जिनका आवंटन निरस्त हो चुका है अथवा जिनका आवंटन संबंधित निकाय द्वारा नहीं किया गया है। ऐसे आवासों के आवंटन की संशोधित दरें निर्धारित की गयी हैं। इस आदेश में यह स्पष्ट किया जाता है कि संशोधित दरें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, 2009 के मॉडल 1 के तहत अनुमोदित योजनाओं पर ही लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव - प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किये जाने हेतु।
7. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
10. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम